Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी अनिल को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल पुत्र राजेराम निवासी ग्राम अहेड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 243/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 12.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनिल को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत

है0का0 रविन्द्रकोर्ट पैरोकार थाना कोत0 बागपत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police baghpatpolice @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली　　　　　दिनाँक 12.08.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/352/103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2025 को थाना बिनौली पर वादी वादी श्री गजेन्द्र तोमर पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आयुष पुत्र सतेन्द्र 2. अर्जुन पुत्र सतेन्द्र निवासीगण ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के बडे भाई धर्मेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान सिरसली को गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से उसके ऊपर कई फायर किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा साथ में बैठे विनीत पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी के भाई धर्मेन्द्र उपरोक्त को मेरठ में न्युट्रिमा अस्पताल के डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। उपरोक्त सम्पूर्ण घटना अभियुक्त निर्भय सिंह पुत्र जिहाना निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा कराई गई है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/352/103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा पूर्व में कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

01 अभियुक्ता

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 271/16 धारा 302/307/120बी भादवि बिनौली

2-मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/352/103(1) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-का0 301 मुलायम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

6-म0का0 326 रश्मि थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 12-08-2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 377/25 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 377/25 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र योगेन्द्र निवासी गली कोर्ट रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	273/23	379/411 भादवि	सिंघावली अहीर	बागपत
2	438/24	379/411 भादवि	बागपत	बागपत
3	677/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत

4	691/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
5	692/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
6	693/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
7	696/24	317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस	बागपत	बागपत
8	672/23	380/457/411 भादवि	बागपत	बागपत
9	377/25	2(ख)1/3 गैंगस्टर अधि0	बागपत	बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0निरी0 दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 415 रविन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 486 सचिन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 12.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 27.03.25 को थाना खेकड़ा पर वादी अक्षय जैन पुत्र सूर्य प्रकाश जैन निवासी जैन कालेज रोड पट्टी रांमपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के प्राइवेट ट्रांसफॉर्मर के अन्दर का पूरा सामान चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा मु0अ0सं0 105/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 105/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 10-04-2025 को 05 अभियुक्तों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राहुल पुत्र विद्यानन्द निवासी पट्टी औरंगाबाद कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत

2.है0का0 299 रामकुमार थाना खेकडा जनपद बागपत

3.है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 12.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 255/25 धारा 326(g) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 सिलेन्डर कम्पनी इण्डेन, 01 रेगुलेटर व 01 मोमबत्ती बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.25 को थाना खेकड़ा पर वादी सिद्धार्थ कौशिक पुत्र श्री स्व. नरेश कौशिक निवासी पट्टी औरंगाबाद कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त राहुल पुत्र विद्यानन्द निवासी पट्टी औरंगाबाद खेकडा जनपद बागपत द्वारा वीर जी चाप होटल को नष्ट करने के उद्देश्य से सिलेन्डर में आग लगा कर रख दी, जिसको कड़ी मश्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 255/25 धारा 326(g) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 255/25 धारा 326(g) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 सिलेन्डर कम्पनी इण्डेन, 01 रेगुलेटर व 01 मोमबत्ती बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राहुल पुत्र विद्यानन्द निवासी पट्टी औरंगाबाद कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- 01 सिलेन्डर कम्पनी इण्डेन

- 01 रेगुलेटर
- 01 मोमबत्ती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2.का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3.का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 12.08.2025**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 452/25 धारा 85/108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19-07-2025 को थाना बडौत पर वादी तरूण पुत्र श्री सुखपाल उर्फ इकवाल निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पंकज (पति) पुत्र सुभाष, 2.सास, 3. सुभाष (ससुर) पुत्र महा सिंह निवासीगण छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत व 4. पंकज के मामा का लडका सागर निवासी अज्ञात द्वारा वादी की बहन के साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0-452/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 452/25 धारा 85/108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस का विलोप करते हुये धारा 85/108 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

पंकज कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी गली मालियान निकट छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-का0 92 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 12.08.2025

थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 207/25 धारा 85/352/115(2)/74/76/89 BNS व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 207/25 धारा 85/352/115(2)/74/76/89 BNS व 3/4 दहेज एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप पुत्र धनसिंह निवासी ग्राम धनसिंह निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.म0उ0नि0 सुश्री शीलेश चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2.है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3.है0का0 720 यशपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला   दिनाँक 12.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहजाद पुत्र ईशाक निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 12.08.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 281/25 धारा 74/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0-281/25 धारा 74/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कृष्णपाल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम पूठड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2.है0का0210 दानवीर सिह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3. है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।